

(b) if so, what measure? have been envisaged to curb this bad practice?

THE MINISTER OF WELFARE
(SHRI SITARAM KESRI) : (a) Yes, Sir.

(b) The measures adopted are both legal as well as rehabilitative. Under the Juvenile Justice Act, 1986, a juvenile found begging is treated as a "neglected juvenile". The Act, therefore, provides for a legal-rehabilitative mechanism under sections 13 to 16 of the Act, which serve the best interest of the child concerned by providing proper care through parents fit-persons/fit-institutions through Juvenile Welfare Boards.

As a rehabilitative measure, the Ministry of Welfare assists the State Governments/U.T. Administrations/Voluntary Organisations to run homes under the Juvenile Justice act through a Centrally Sponsored Scheme of Prevention and Control of Juvenile Social Maladjustment. The Scheme provides for education and training in various trades for children living in these institutions.

पिछड़े वर्गों के रहन-सहन का स्तर

830. श्री ईश बत्त धावध : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े वर्गों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठाने के लिये कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही योजनाओं के नाम क्या-क्या हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों का व्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :
(क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त

एवं विकास निगम, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित पिछड़े वर्गों को आर्थिक ऋण/सीमान्त राशि दे रहा है वस्तुतः उद्यमी की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी की रेखा की आय की दुगुनी से कम हो।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश में 1992-93 के दौरान इस निगम ने 15 योजनाओं को शामिल करते हुए पिछड़े वर्गों के सदस्यों द्वारा उन्नयन किये गये 3380 युनिटों को कुल 322.41 लाख रुपये के आर्थिक ऋण/सीमान्त राशि मंजूर की है। यह निगम 13.1.1992 को पंजीकृत हुआ था और इसने 1992-93 के उत्तरार्ध में काम करना शुरू किया।

उत्तर प्रदेश में सामाजिक संगठन

831. चौधरी हरमोहन सिंह :
क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कार्यरत उन सामाजिक संगठनों के नाम क्या-क्या हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मिल रही है ;

(ख) क्या यह संगठन राज्य के पिछड़े वर्गों के लोगों की मांगों को पूरा कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :
(क) कल्याण मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे सामाजिक संगठनों के नामों का एक विवरण अनुपत्त में दिया गया है। [रेखिए—परिशिष्ट 168, अनुपत्त संख्या 15]

(ख) जी, हां।

(ग) ये संगठन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आवासीय स्कूल, होस्टल, हास्पिटल,

श्रीछोगिक प्रशिक्षण संस्थान चला रहे हैं। विकलांग लोगों को शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास व्यवस्था करते हैं, ये अभाव ग्रस्त, उपेक्षित दुरुपयोग या शोषण किये जा रहे बेसहारा बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और विकास के लिये मूल सेवाओं की व्यवस्था करते हैं, भिक्षु गृहों में रहने वालों के लिये कार्य केन्द्र वृद्धावस्था गृह खोलत हैं। बच्चों के लिये गृह माध्यम से देश के अन्दर दत्तक ग्रहण की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं और नशाबन्दी तथा नशीली दवाओं का दुरुपयोग निवारण के बारे में जागरूकता, शिक्षा के लिये सेवायें उपलब्ध कराते हैं और पिछड़े वर्गों सहित समाज के सभी वर्गों के लिये व्यसनियों की पहचान, परामर्श, उपचार, अनुवर्ती देखभाल तथा पुनर्वास की व्यवस्था करते हैं।

बाल्मीकी लोगों को अनुसूचित जाति का माना जाना

832. श्री सुन्दर सिंह मंडारी :

श्री जगदीश प्रसाद माथुर :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश व बिहार के हजारों बाल्मीकी लोगों को जो अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में आज भी सफाई का काम कर रहे हैं, अनुसूचित जाति के लोग न माने जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि देश के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बस जाने के बावजूद अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को अनुसूचित जाति का ही माना जाता है ; और

(ग) सरकार ने किसी व्यक्ति को अनुसूचित जाति का मानने के लिए क्या-क्या मानादण्ड निर्धारित किए हुए हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :

(क) संविधान के अनुच्छेद 341 (1) और 342 (1) के अन्तर्गत यथापेक्षित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को किसी विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में ही अधिसूचित किया जा सकता है। किसी जाति/समुदाय की सामाजिक स्थिति अलग-अलग राज्यों, और एक राज्य के भीतर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न-भिन्न होती है। अतः केवल उन समुदायों को, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिये निम्नित मानदण्ड को पूरा करते हैं, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में किसी जातियों को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

(ख) जी, हां। तथापि, ऐसी अनुसूचित जाति अपने मूल राज्य में अनुसूचित जाति मानी जाएगी तथा अपने मूल राज्य से लाभ प्राप्त करने की पाव होगी न कि उस राज्य से जहां उसने प्रवास किया है।

(ग) जहां कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का होने का दावा करता है, उसे यह मानदण्ड पूरे करने चाहिये (1) कि वह व्यक्ति और उसके माता-पिता वास्तविक रूप में उस समुदाय से संबंध रखते हैं जिसका उसने दावा किया है। (2) कि यह समुदाय संबंधित राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में शामिल की गई है। (3) कि वह व्यक्ति उस राज्य से और राज्य के उस क्षेत्र से संबंध रखता है, जिसके संबंध में समुदाय को अनुसूचित किया गया है ; (4) यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति होने का दावा करता है तो उसे या तो हिन्दू या सिख या बौद्ध धर्म का होने की घोषणा करनी चाहिये।